न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—145/2012/223 (2015/00074)

1. रंगलाल पुत्र नारायण, जाति जाट,
2. रामेश्वर पुत्र नारायण, जाति जाट,
3. जगदीश पुत्र नारायण, जाति जाट,
4. रामस्वरूप पुत्र नारायण, जाति जाट,
   समस्त निवासी माल की ढाणी, तन दूदू, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. काना पुत्र माधो उर्फ मोती, जाति जाट, नि0 माल की ढाणी तन, दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. नानू पुत्र माधो उर्फ मोती, जाति जाट, नि0 माल की ढाणी, तन0 दूदू, तह0 दूदू, जिला जयपुर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— किशनलाल पुत्र स्व0 नानू, जाति जाट, नि0 माल की ढाणी, तन दूदू, तह0 दूदू, जिला जयपुर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1/1— श्रीमती रामेश्वरी पत्नि स्व0 किशनलाल, जाति जाट,
   2/1/2— विश्राम पुत्र स्व0 किशनलाल, जाति जाट,
   निवासी माल की ढाणी, तन दूदू, जिला जयपुर ।
   2/1/3— सुनिता पुत्री स्व0 किशनलाल, जाति जाट, पत्नि हनुमान, जाति जाट, निवासी माल की ढाणी, तन दूदू, हाल नि0 मूंगीथला, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
   2/1/4— अनिता पुत्री स्व0 किशनलाल पत्नि मुकेश, जाति जाट, नि0 माली की ढाणी, तन दूदू, जिला जयपुर हाल नि0 भूरटिया, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।
   2/1/5— सीमा पुत्री स्व0 किशनलाल, उम्र 17 वर्ष नाबालिग, जाति जाट, नि0 माल की ढाणी तन दूदू, जिला जयपुर जरिये सरंक्षक माता, रामेश्वरी पत्नि स्व0 किशनलाल ।
   2/2— रिद्धकरण पुत्र स्व0 नानू, जाति जाट, नि0 माल की ढाणी, तन दूदू, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
   2/3— सजना पुत्री स्व0 नानू, पत्नि गोपाल, जाति जाट, नि0 मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
   2/4— काली पुत्री स्व0 नानू पत्नि बोदू, जाति जाट, नि0 मालेड़ा, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
3. हेमराज दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति कुमावत, नि0 माल की ढाणी, दूदू, जिला जयपुर ।
4. दिनेश पुत्र भंवरलाल, जाति कुमावत, नि0 606/1 शांतिपुरा, आनासागर लिंक रोड़, अजमेर ।
5. लोकेश पुत्र भंवरलाल, जहाति कुमावत, नि0 606/1, शांतिपुरा,आनासागर, लिंक रोड़, अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।
7. लादू पुत्र माधो उर्फ मोती, जाति जाट, नि0 माल की ढाणी, तन दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 22.11.2010 अंतर्गत वाद संख्या 100/2009.

उपस्थितः—

1. श्री पन्नालाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री बी0एस0राजावत, वकील रेस्पो0 सं0 1, 2/1 से 2/4.
3. श्री आर0एस0खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 के पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी मौरूसी आराजी है । वादीगण स्व0 बक्सा के पौत्र है तथा नारायण उर्फ रामनारायण परिवार में बडा होने के कारण कर्ताखानदान था । इसके पूर्व नारायण के पिता घीसा कर्ताखानदान थो तथा वर्तमान में रंगलाल कर्ताखानदान है । विवादित आराजियात खसरा नंबर 5572 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 5573 रकबा 0.34 है09, खसरा नंबर 5574/7038 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 5604 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 5607 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 5608 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 5615 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 5616 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 5617 रकबा 0.78 है0, खसरा नंबर 5618 रकबा 2.05 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 5.49 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 4526 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा जो वाके ग्राम माल की ढाणी, तन दूदू, तह0 दूदू जिला जयपुर में अवस्थित है जिस पर प्रथम सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के पिता माधो उर्फ मोती व नारायण उर्फ रामनारायण संयुक्त रूप से अन्य खातेदार गंगाराम पुत्र गोविन्दराम कुम्हार के साथ काबिज काश्त थे । इस प्रकार विवादित आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की अविभक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ दर्ज हिस्से में 1/2 हिस्सा है तथा संपूर्ण आराजियात में से 1/4 हिस्सा है । विवादित आराजियात में बिना वादीगण को पक्षकार बनाये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने गैर कानूनी तरीके से उप तहसीलदार, दूदू के समक्ष तकासमा करवाकर आराजियात का जरिये नामांतकरण संख्या 4944 दिनांक 28.12.2007 का विभाजन करवा लिया जिसके फलस्वरूप हाल खसरा नंबर 5628 रकबा 2.05 है0 व खसरा नंबर 5617 रकबा 0.69 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.74 है0 हेमराज ने अपने नाम अलग खाता करवा लिया एवं शेष आराजियात खसरा नंबर 7289/7969 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 5571 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 5573/7069 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 5574/7068 रकबा 0.32 है0 खसरा नंबर 5616 रकबा 0.06 है0, खसरा

नंबर 5604 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 5607 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 5608 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 5615 रकबा 0.76 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.75 है0 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने नाम तकासमा करवाकर विवादित आरायिजात का विभाजन करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उनको 1/4 हिस्सा का ही तकासमा करवाना चाहिये था । अंत में न्यायालय से निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 डिक्री किया जावे तथा वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की सींव मेड को नहीं तोड़े तथा न ही वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे तथा न ही जमीन को रहन, बेय व मुंतकिल करे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2010 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 10 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विवादित निर्णय व डिक्री को पारित करते समय इस बिन्दु को नजरअंदाज किया कि जब न्यायालय द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को नोटिस प्राप्त हुए तो जिसके पश्चात् अपीलांटस ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी ओर से कन्टेस्ट जवाबदावा पेश करने हेतु अपना वकील नियुक्त किया तथा अपने वकील के कहे अनुसार खाली पाई पेपरों पर हस्ताक्षर करके अपने वकील दे दिये जिसके पश्चात् अपीलांटस के अधिवक्ता ने खाली पाई पेपर जो हस्ताक्षरशुदा थे, जिनका दुरूपयोग कर अपीलांटस की तरफ से अधी0न्याया0 के न्यायालय में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया । जबकि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का किसी तरह का कोई हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं है । अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपीलांटस को मुगालते में रखकर इकबालिया जवाबदावा पेश कर वाद डिक्री करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटस ने उक्त कृत्य के लिये अभिभाषक के विरूद्ध अलग से कार्यवाही प्रारंभ कर दी है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज किया कि जब उनके समक्ष प्रतिवादी संख्या1 से 4 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था जिसको प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के अभिभाषक ने पहचान नहीं कर तथा प्रतिवादी संख्या 10 के अभिभाषक द्वारा पहचान करवाई गई तथा इकबालिया जवाबदावे के समर्थन में जो शपथ पत्र है उसमें भी पहचान प्रतिवादी संख 10 के अधिवक्ता द्वारा की गई है ं इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अभिभाषक व प्रतिवादी संख्या 10 के अभिभाषक ने मिलकर इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया जिसकी जानकारी कभी भी अपीलांटस को नहीं रही है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के साबिक खसरा नंबर 4526 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा था जिसमें गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार हिस्सा 1/2, रामनारायण पुत्र घीसा जाति जाट हिस्सा 1/2 साकिन देह माल की ढाणी अंकित है जो भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा संवत् 2011 से 2029 से स्पष्ट है । इस प्रकार वादपत्र में अंकित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार गंगाराम पुत्र

गोविन्दराम थे तथा 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलांटस के पिता थे तथा जिसके पश्चात् अपीलांटस ने उक्त वादग्रसत आराजी का खाता अलग करवा लिया था । इस प्रकार उक्त आराजी मे वादीगण का किसी तरह का कोई हक व अधिकार निहित नही था और न ही उनके पूर्वजों का कोई हक व अधिकार था । भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा संवत् 2011 से 2029 से यह स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता माधो पुत्र बालू के नाम का पर्चा अलग से जारी किया गया था जिसमें संपूर्ण हिस्से पर माधो पुत्र बालू का नाम अंकित था जिसके पश्चात् वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 व रेस्पो0 संख्या 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है । इस प्रकार संवत् 2011 में ही अलग–अलग पर्चे जारी हुए थे जिसमें अपीलांटस के पिता के नाम जारी पर्चे में अंकित आराजी मे रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 व 8 का कोई हक व अधिकार नही है । अगर उक्त आराजी में उनका हक अधिकार है तो रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा 8 के पिता माधो पुत्र बालू के नाम जारी पर्चे में अंकित आराजी में भी अपीलांटस का हक व अधिकार होना स्पष्ट है । अपीलांटस को अधी0न्याया0 में अपना पक्ष रखने का मौका नही मिला । वादीगण ने अपीलांटस की पीठ पीछे वाद डिक्री करवाया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनका वाद साबित होता हो इसके बावजूद वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । खतौनी संख्या 1074 में अंकित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 है तथा 1/2 हिस्से के खातेदार अपीलांटस है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 ने रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही है इस प्रकार वादीगण ने अपने वादपत्र में काल्पनिक एवं मनगंढत कथन अंकित करते हुए वाद पेश किया था जिसको अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरसत की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2008 पेज 22 राज0उच्च न्यायालय एवं आर0बी0जे0 2012 पेज 356 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 22.11.2010 को प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित की जिसकी सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब दिनांक 10.2.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने प्रार्थीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी में 1/2 हिस्से की आराजी हमारी है जिस पर हम जबरदस्ती काबिज होकर काश्त करेंगे तथा बेचान करेगे । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2010 की पालना में नामांतकरण संख्या 504 खोला जा चुका है जिसमें 1/2 हिस्से की आराजी में काना व नानू पुत्रान माधो का नाम अंकित है तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने संबंधित जमाबंदियों की नकल ली तथा दिनाक 13.2.2012 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया । प्रमाणित प्रतिया प्राप्त होने के उपरांत प्रार्थीगण ने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2/1 से 2/4 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0

के समक्ष अपीलांटस द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया था जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री किया है । अपीलांटस अपने इकबालिया जवाबदावे बाधित है । अपीलांटस का यह कथन कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें धोखे में रखकर खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवा कर इकबालिया जवाबदावा पेश किया है किया गया कथन उचित नही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 काना व प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/4 के पूर्वज नानू पुत्र माधू के द्वारा ग्राम माल की ढाणी, तन दूदू, तह0 मौजमाबाद स्थित साबिक खसरा नंबर 4526 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल नवीन खसरा नंबर 5572, 5573, 5574/7038, 5604, 5607, 5608, 5615, 5616, 5617, 5618 कुल किता 10 रकबा 5.49 है0 के संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमियों में वादीगण का संयुक्त रूप से आधा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का आधा हिस्सा है जिसकी घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 क्रमशः रंगललाल, रामेश्वर, जगदीश, रामस्वरूप ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाबदावा दिनांक 5.1.2010 को पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार कर वादी का वाद मुताबिक दादरसी डिक्री किया जाता है तो इसमें हम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को कोई आपत्ति नही होने का कथन किया गया है एवं जवाबदावे के साथ रामेश्वर पुत्र नारायण का शपथ पत्र भी पेश किया गया है । अधी0न्याया0 ने इकबालिया जवाबदावे के आधार पर एवं वादीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण का वाद डिक्री किया है । अपील में अपीलांटस/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का कथन है कि उनके अधिवक्ता द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है, खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये तथा उसके पश्चात् टाईप करवाकर इकबाली जवाबदावा पेश कर दिया गया है जबकि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में नियुक्त अपने अधिवक्ता को ऐसा करने हेतु अधिकृत नही किया गया था। अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा अपीलांटस द्वारा हस्ताक्षरशुदा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया है तथा जवाबदावे के साथ रामेश्वर का शपथ पत्र जो कि शपथ आयुक्त से सत्यापित है एवं रामेश्वर पढ़ा लिखा है इस कारण अपीलांटस द्वारा मनगंढ़त कहानी बनाकर अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपने इकबालिया जवाबदावे से बाधित है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2003 (3) पेज 1891 हाई कोर्ट प्रस्तुत की एवं अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया है । उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधि0 की धारा 58 के अनुसार यदि विरोधी पक्षकार किसी तथ्य को स्वीकार करता है तो

उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नही है । "Evidence Act, 1872,Sec. 58- Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission." उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस द्वारा किये गये कथन स्वीकार किये जाने योग्य नही है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया उसके साथ रामेश्वर का शपथ पत्र संलग्न किया गया है जो कि शपथ आयुक्त से सत्यापित है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । अपीलांटस अपने पूर्व स्वीकारोक्ति से बद्ध (Estopped) है तथा स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है । अपने पूर्व स्वीकृत तथ्यों के विपरीत कथन विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है । उक्त आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् होने से अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2010 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर